मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 20–02–2013 को सम्पन्न बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के कार्य–कलापों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

मुख्य सचिव द्वारा मुख्यतः बिजली उत्पादन से संबंधित कम्पनियों के उत्पादन लक्ष्य तथा भू–अर्जन संबंधी समस्याओं के बारे में विस्तार से समीक्षा की गयी।

1. **बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को हस्तान्तरित)**

1.1 चार गाँवों के कुल 11.27 एकड़ सरकारी जमीन के हस्तानान्तरण का प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। प्रधान सचिव (राजस्व एवं भूमि सुधार) द्वारा बताया गया कि राज्यादेश दो दिनों के अन्दर निर्गत कर दिया जायगा।

1.2 1070.27 एकड़ निजी जमीन का धारा 7/17 के तहत कार्रवाई हो चुकी है। तेजी से भुगतान किया जाना है एवं भुगतान के तुरंत बाद सतलज जल विद्युत निगम द्वारा अर्थ मूवर मशीन आदि का इस्तेमाल कर अधिग्रहित जमीन को कृषि के अनुपयुक्त कर दिया जाना है तथा चहारदिवारी इत्यादि की व्यवस्था की जानी है। निदेशक (भूमि सुधार) द्वारा शीघ्र जमीन पर दखल–कब्जा के लिए अपेक्षित निगरानी रखी जानी है।

1.3 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सतलज जल विद्युत निगम ने बताया कि दोनों इकाईयों को दिसम्बर,2017 तक चालू करने की योजना है।

1.4 सतलज जल विद्युत निगम द्वारा परियोजना स्थल के समीप एक पुलिस ऑउट–पोस्ट की व्यवस्था के लिए अनुरोध किया गया।

2. **बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन**

2.1 महाप्रबंधक, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन द्वारा बताया गया कि स्टेज–II की पहली इकाई अक्टूबर, 2013 में कमीशन हो जायगा।

2.2 मौजा पंडारक, ममेरकाबाद एवं तालिमपुर मे रेलवे साईडिंग एवं ऐश कॉरिडोर आदि के लिए 17 एकड़ जमीन का 80 प्रतिशत भुगतान लम्बित है जिसे जल्द किया जाना है।

2.3 ऐश कॉरिडोर पाईप लाईन, रेलवे साईडिंग, ऐश डाईक ,इत्यादि के लिए लगभग 568 एकड़ भूमि का 20 प्रतिशत भुगतान लम्बित है जिसे जल्द पूरा किया जाना है।

2.4 कुल 3200 एकड़ में से 900 एकड़ जमीन का दाखिल खारीज अभीतक नहीं हुआ है, इसे जल्द किया जाना है। प्रधान सचिव (राजस्व एवं भूमि सुधार) द्वारा बताया गया कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए जमीन के हस्तानान्तरण की अधिसूचना ही दाखिल खारीज करने के लिए पर्याप्त आधार है। जिलाधिकारी, पटना द्वारा इसे जल्द किया जाना है।

3. भारतीय रेल बिजली कम्पनी लिमिटेड

3.1 महाप्रबंधक, भारतीय रेल बिजली कम्पनी लिमिटेड द्वारा 4x250 मेगावाट इकाईयों के commissioning का निम्न लक्ष्य दिया गया :

इकाई संख्या–1 – जून,2014 इकाई संख्या–2 – दिसम्बर,2014

इकाई संख्या–3 – जून,2015 इकाई संख्या–4 – दिसम्बर,2015

3.2 भूमि अधिग्रहण के लिए शेष 268.77 एकड़ जमीन में से 159.92 एकड़ विवादित सरकारी जमीन है तथा 23.88 एकड़ जमीन पारिवारिक विवाद के कारण सिविल कोर्ट में दर्ज है। विवादित सरकारी जमीन के बारे में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला प्रशासन को निष्पादन के लिए अधिकृत किया है जो करीब डेढ़ साल से लंबित है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी नबीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी की भूमि अधिग्रहण में व्यस्त रहने के कारण अंचलाधिकारी को इस कार्य हेतु अधिकृत किया है। इन मामलों का निष्पादन शीघ्र किया जाना है एवं प्रधान सचिव (राजस्व एवं भूमि सुधार) द्वारा इस पर गहन निगरानी रखी जानी है।

3.3 महाप्रबंधक, बी.आर.बी.सी.एल. ने बताया कि 2.3 किलोमीटर की लम्बाई में चहारदिवारी का काम बार–बार अवरूद्ध हो जाता है। चहारदिवारी नहीं बनने के कारण सी.आई.एस.एफ. की प्रतिनियुक्ति नहीं हो पा रही है।

3.4 रोहतास जिला में stone quarry के खनन पर रोक लगा दिये जाने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित है।

4. नबीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी लिमिटेड

4.1 स्टेज–II के मेन प्लान्ट एरिया के लिए 08 कोर्ट केस के मामले (13.12 एकड़) लम्बित है। जिलाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा इसके निष्पादन के लिए सक्रियात्मक प्रयास किया जाना है। बचे हुए 18.09 रैयती जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया को त्वरित की जानी है। 17.40 एकड़ गैर मजरूआ मालिक (GMM) जमीन जिसका रैयती में रूपान्तरण नहीं हो सका है, हस्तान्तरण हेतु शीघ्र कार्रवाई की जानी है।

4.2 कुल रैयती जमीन में 328.47 एकड़ जमीन का physical possession अभी बाकी है। 200 कोर्ट केस के मामलों में से 33 मामलों में न्यायालय का फैसला हो चुका है। शेष 36.31 एकड़ जमीन के बचे हुए अंश का धारा 4/6 एवं 7/17 की प्रक्रिया जल्द पूरी की जानी है। गैर मजरूआ मालिक (GMM) जमीन का 359.04 एकड़ शेष जमीन का physical possession किया जाना है जिसमें 71.56 एकड़ सरकारी जमीन का हस्तानान्तरण किया जाना है। प्रधान सचिव (राजस्व एवं भूमि सुधार) एवं निदेशक (भूमि सुधार). द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जानी है तथा शेष भूमि पर कब्जा एन.पी.जी.सी.एल. को शीघ्रातिशीघ्र दिया जाना है।

5. कॉटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड

5.1 ऐश डाईक, ऐश पाईप कॉरिडोर, मेक अप वाटर पम्प हाउस में शेष मुआवजे की राशि का भुगतान जल्द किया जाना है। ऐश पाईप कॉरिडोर के पाँच गाँवों के भू–स्वामियों द्वारा मुआवजा नहीं लिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जानी है।

5.2 मेक अप वाटर कॉरिडोर तथा रि–सेटलमेंट कॉलनी के भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को त्वरित की जानी है।

5.3 महाप्रबन्धक, के.बी.यू.एन.एल. द्वारा आर. एण्ड एम. के अन्तर्गत आने वाली पहली इकाई को कमिशनिंग करने के लिए working capital के तौर पर बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा 30.00 करोड़ रूपये अग्रिम देने का अनुरोध किया गया है जिसे भविष्य में क्रय की जाने वाली बिजली के विपत्र में समायोजित कर लिया जायेगा। इस संबंध में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा ऊर्जा विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया है। वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर ऊर्जा विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी है।

6. बरौनी थर्मल पावर स्टेशन विस्तार परियोजना

6.1 प्रबंध निदेशक (उत्पादन), बिहार स्टेट पावर जेनरेटिंग कम्पनी ने बताया कि ऐश डाईक के लिए चिन्हित जमीन का अधिग्रहण शीघ्र किया जाना है क्योंकि आर.एण्ड एम. के बाद 2x110 मेगावाट इकाईयों के ऐश डिस्पोजल के लिए भी इस स्थल की आवश्यकता पड़ेगी। जिलाधिकारी, पटना द्वारा 290 एकड़ सरकारी जमीन के लिए जिसका हस्तानान्तरण किया जा चुका है, lease agreement जल्द हस्ताक्षरित किया जाना है। 76.89 एकड़ जमीन जिसे सरकारी जमीन घोषित किया गया है उसके हस्तानान्तरण की कार्रवाई शीघ्र की जानी हैं। शेष 129.62 एकड़ निजी जमीन के मुआवजा का भुगतान शीघ्र किया जाना है।

6.2 ऐश पाईप कॉरिडोर के लिए बेगुसराय जिला में 3.75 एकड़ जमीन की धारा 7/17 की प्रक्रिया जल्द पूरी की जानी है।

7. पन्द्रह दिनों बाद जिलाधिकारी, पटना, बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बक्सर, लखिसराय, भागलपुर के साथ उनके जिले में अवस्थित पावर प्लान्टों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव स्तर पर विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की जायगी और संबंधित पावर जेनेरेटिंग कम्पनी के महाप्रबन्धक को भी बुलाया जायगा।

8. रजौली में न्यूक्लियर पावर प्लान्ट के लिए गंगा नदी से पानी का आवंटन जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर फुलवरियाँ Reservoir से पानी का आवंटन किया जा सकता है।

9. बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के वर्त्तमान आधारभूत संरचना में 2X50 मेगावाट के बदले 1X660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना के लिए JICA द्वारा नई तकनीक को अपना कर वर्त्तमान संरचना में feasibility के अध्ययन के लिए विद्युत मंत्रालय से अनुरोध किया जाना है।

10. उन सभी विभागों के प्रधान सचिवों की एक बैठक मुख्य सचिव स्तर पर बुलायी जानी है जिनके यहाँ बिजली मद में ज्यादा बकाया है। प्रधान सचिव (वित्त) भी उस बैठक में भाग लेंगे।

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक–प्र02/बोर्ड बैठक–24/2009 (खंड–I) 1165 पटना, दिनांक 28/2/13

प्रतिलिपिः–विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/13
सरकार के अपर सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।